प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1200/2007

याचिकाकर्ता - श्रीमती आभा पटेल

बनाम

उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 19 मार्च, 2007 को सूचीद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1200/2007

याचिकाकर्ता - श्रीमती आभा पटेल, पति श्री मनोहर लाल पटेल, आयु लगभग 40 वर्ष, सरपंच, ग्राम पंचायत कौंसरा,

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (विहित प्राधिकारी) महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

4. तहसीलदार (पीठासीन अधिकारी), महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. श्रवण कुमार ध्रुव पिता श्री केन्द्रूराम ध्रुव, उपसरपंच, ग्राम पंचायत कौंसरा, जनपद पंचायत बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

6. सुकालू राम साहू पिता श्री जहत राम साहू, पंच वार्ड क्रमांक 1:

7. नन्द कुमार चक्रधारी पिता श्री जनकराम चक्रधारी, पंच वार्ड क्रमांक 2;

8. श्रीमती धसनी बाई पिता श्री दशरथ साहू, पंच वार्ड क्रमांक 3;

9. श्रीमती शैलेन्द्री बाई पिता श्री गेंदराम ठाकुर, पंच वार्ड क्रमांक 4;

10. रामाधार सेन पुत्र श्री धसिया सेन, पंच वार्ड क्रमांक 5;

11. श्रीमती. श्यामा बाई साहू पति श्री खेदूराम साहू, पंच वार्ड क्रमांक 8;

12. जनकराम ध्रुव पिता श्री सुखीराम ध्रुव, पंच वार्ड क्रमांक 9;
13. घासीराम ध्रुव पिता श्री पंचूराम ध्रुव, पंच वार्ड क्रमांक 10; सभी ग्राम कौंसरा, ग्राम पंचायत कौंसरा, जनपद पंचायत

बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) के निवासी हैं।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री वी.के. पांडे, अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 4/राज्य की ओर से श्री उत्कर्ष वर्मा, उप-शासकीय अधिवक्ता;

उत्तरवादीगण क्रमांक 5 से 13/केविएटर की ओर से श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता ।

....

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(दिनांक 19 मार्च, 2007 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर महासमुंद/उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.2.2007 (पी./1) की वैधानिकता और विधिमान्यता को चुनौती दी है।

2. निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत कौंसरा, जनपद पंचायत बागबाहरा, जिला महासमुंद का निर्वाचित सरपंच है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए दिनांक 5.7.2006 को एक बैठक बुलाई गई थी। पंचायत के कुल 13 सदस्यों में से 9 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने मध्य प्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994 (इसके बाद 'नियम, 1994' के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के तहत निर्धारित निशान लगाकर प्रस्ताव में अपना मत डाला। 8 सदस्यों ने निर्धारित (√) निशान लगाया और 1 सदस्य ने (C) के रूप में निशान लगाया। तदनुसार, 1 मत को अवैध घोषित कर दिया गया,

क्योंकि वह नियम, 1994 के नियम 5 के तहत निर्धारित निशान के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, प्रस्ताव "पारित" नहीं हो सका। पीठासीन अधिकारी/तहसीलदार ने यह धारित करते हुए कि 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने के लिए 10 सदस्यों की आवश्यकता थी और कार्यवाही में केवल 8 मत ही 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में डाले गए थे, 'अविश्वास प्रस्ताव' को "पारित न होना" घोषित कर दिया।

3. इससे व्यथित होकर, उप-सरपंच और 8 अन्य सदस्यों ने छत्तीसगढ़ (पूर्व में मध्य प्रदेश) पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'अधिनियम, 1993' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कलेक्टर, महासमुंद के समक्ष एक संदर्भ प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने (C) निशान वाले मतपत्र को वैध मानते हुए संदर्भ को स्वीकार कर लिया और तहसीलदार द्वारा बैठक में पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 'अविश्वास प्रस्ताव' को "पारित न होना" घोषित किया गया था; यह आदेश दिनांक 8.8.2006 (पी/5) को पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. कलेक्टर महासमुंद द्वारा पारित दिनांक 8.8.2006 के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, रिट याचिका क्रमांक 4657/2006 दायर की थी। इस न्यायालय ने दिनांक 11 दिसंबर, 2006 (पी./7) के आदेश द्वारा यह देखते हुए कि निर्वाचित सरपंच को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जो इस अधिनिर्णय में सबसे अधिक प्रभावित पक्ष है, दिनांक 8.8.2006 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को विधि के अनुसार याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर नए सिरे से निर्णय लेने हेतु कलेक्टर को वापस भेज दिया।

5. कलेक्टर ने दिनांक 12.2.2007 (पी./1) के आदेश द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 8.8.2006 (पी./5) को यथावत रखा, और इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या 'अविश्वास प्रस्ताव' के विफल होने की घोषणा करने वाले तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदन/संदर्भ विचारणीय था या नहीं।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. पांडे ने तर्क दिया कि 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में वैध मत मानने के लिए (C) का निशान सही निशान नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर को संदर्भ केवल तभी भेजा जा सकता है जब 'अविश्वास प्रस्ताव' "पारित" हो गया हो, अन्यथा नहीं। अगला तर्क यह था कि उपस्थित 13 सदस्यों में से, उपस्थित पंचों के तीन-चौथाई से कम बहुमत नहीं बनता है, क्योंकि 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान करने वाले 9 पंच होने चाहिए थे; यहाँ उस 1 मत को भी वैध मान लिया गया जिस पर सही निशान नहीं था और जो नियम, 1994 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं है।

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 5 से 13 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने तर्क दिया कि 'आशय' को देखा जाना चाहिए; चूँकि वहाँ कोई 'क्रॉस' (X) का निशान नहीं था, बल्कि (C) का निशान था जो कि दूसरे निशान (√) के समान ही है, इसलिए उसे 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में वैध मत के रूप में सही माना गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि 13 सदस्यों में से, दो-तिहाई 13×2/3=8.6 अर्थात 9 होता है। 9 सदस्य उपस्थित थे और कुल उपस्थित सदस्यों का तीन-चौथाई अर्थात 9×3/4=6.75 अर्थात 7 होता है। यदि 1 मत को अवैध भी घोषित कर दिया जाए, तब भी 8 सदस्यों ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में अपना मत डाला है। इस प्रकार, 'अविश्वास प्रस्ताव' को "पारित" माना जाना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम, 1993 की धारा 21(4) के तहत निर्धारित प्रस्ताव की वैधता के संबंध में विवाद को कलेक्टर द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया था, क्योंकि आवश्यक मत यानी उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई 7 था और वर्तमान मामले में प्रस्ताव को "विफल" घोषित कर दिया गया था। अतः, उप-सरपंच और अन्य सदस्यों के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय कलेक्टर को विवाद का संदर्भ भेजना ही था।

8. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्मा ने उत्तरवादी क्रमांक 5 से 13 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम, 1993 की धारा 21(4) के तहत कलेक्टर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के पास उस स्थिति में विवाद पर विचार करने की शक्ति नहीं है जहाँ पीठासीन अधिकारी अर्थात तहसीलदार ने यह धारित किया हो कि 'अविश्वास प्रस्ताव' विफल हो गया है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिकाओं तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम पंचायत कौंसरा में कुल 13 सदस्य थे और अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के तहत ग्राम पंचायत बनाने वाले पंचों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। कुल संख्या का दो-तिहाई 13×2/3=8.6 अर्थात 9 होगा। 9 सदस्य उपस्थित थे, अतः 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए कोरम (गणपूर्ति) पूर्ण था। दूसरी आवश्यकता यह है कि 'अविश्वास प्रस्ताव' उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के तीन-चौथाई द्वारा पारित किया जाए; यदि प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रस्ताव को "पारित" माना जाता है। वर्तमान मामले में, उपस्थित 9 सदस्यों का तीन-चौथाई अर्थात 9×3/4=6.75 यानी 7 होता है। 8 सदस्यों ने (√) का निशान लगाकर अपना मत डाला है, और 1 मत जिस पर निशान तो लगा था लेकिन नियम, 1994 के नियम 5 के अनुसार 'क्रॉस' नहीं था—यदि उसे नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तो भी 'अविश्वास प्रस्ताव' "पारित" हो गया है क्योंकि 7 से अधिक सदस्यों ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में अपना मत दिया है। इस प्रकार, 5.7.2006 को आयोजित बैठक में पीठासीन अधिकारी का यह निष्कर्ष कि 'अविश्वास प्रस्ताव' विफल हो गया, सही नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) और धारा 21(4) को उद्धृत करना लाभकारी होगा।

> **"21.** सरपंच और उप-सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। (1) ग्राम पंचायत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, और यदि ऐसा बहुमत उस समय ग्राम पंचायत बनाने वाले पंचों की कुल संख्या के

दो-तिहाई से अधिक है, तो वह सरपंच या उप-सरपंच जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, तत्काल अपने पद पर नहीं रहेगा।

धारा 21 [(4) यदि सरपंच या उप-सरपंच, जैसी भी स्थिति हो, उप-धारा (1) के तहत पारित प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऐसा प्रस्ताव पारित होने की तिथि से सात दिनों के भीतर विवाद को कलेक्टर को संदर्भित करेगा, जो यथासंभव उसे प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इसका निर्णय करेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा।**]**"

11. अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित हो गया था, भले ही विवादित निशान वाले 1 मत को अवैध घोषित कर दिया जाए। प्रस्ताव स्पष्ट बहुमत से "पारित" हुआ है। मैं निशान (C) की वैधता की जाँच करना आवश्यक नहीं समझता। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है कि क्या अधिनियम, 1993 की धारा 21(4) के तहत कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र है, तो वर्तमान मामले के तथ्यों में इसकी जांच करना आवश्यक नहीं है। अतः, मैं इस मामले में उक्त प्रश्न का परीक्षण करने का इच्छुक नहीं हूँ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. इस न्यायालय ने घनश्याम यादव बनाम रामेश्वर साहू एवं अन्य (रिट याचिका संख्या 6774/2006), जिसका निर्णय 5.12.2006 को हुआ था, में यह निर्धारित किया कि जब प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया हो, तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः, 'अविश्वास प्रस्ताव' को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में भी स्थिति वही है, क्योंकि पंचायत बनाने वाले सदस्यों के दो-तिहाई यानी 9 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने मतदान किया। उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई से अधिक अर्थात 8 सदस्यों ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार, 'अविश्वास प्रस्ताव' "पारित" हो गया था। कार्यवाही के संचालन के संबंध में अन्य कोई आधार नहीं उठाया गया है।

13. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों से, कलेक्टर महासमुंद/उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.2.2007 (पी./1) को यथावत रखा जाता है और पीठासीन अधिकारी अर्थात तहसीलदार द्वारा पारित उस आदेश को अपास्त किया जाता है जिसमें 'अविश्वास प्रस्ताव' को विफल घोषित किया गया था; यह धारित किया जाता है कि 'अविश्वास प्रस्ताव' "पारित" हो गया था।

14. तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**